

## उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, जामताड़ा

(उत्पाद शाखा)

खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती हेतु सूचना  
विज्ञप्ति

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 1/नीति-28/2018- 2135 दिनांक 24.12.2018 द्वारा प्रकाशित "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018" तथा राजस्व पर्वद द्वारा अनुमोदित बिक्री अधिसूचना की शर्तों के तहत, दो वर्षों की ब्लॉक अवधि (दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2022 तक) हेतु, अथवा अनुज्ञप्ति निर्गत करने की तिथि से शेष बची अवधि के लिए, वित्तीय वर्ष 2019-20 की शेष बची अबंदोबस्त दुकानों एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 की अनवीकृत "देशी शराब की दुकान", "विदेशी शराब की दुकान" तथा "कम्पोजिट दुकान" की बंदोबस्ती ई-लॉटरी प्रणाली द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार सम्पादित की जायेगी -

क्र०	विषय	तिथि
1	2	3
1	"देशी शराब की दुकान", "विदेशी शराब की दुकान" तथा "कम्पोजिट शराब की दुकान" की बंदोबस्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की तिथि व समय	दिनांक-09/03/2020 के पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक-18/03/2020 के संध्या 05:00 बजे तक
2	ई-लॉटरी की तिथि एवं समय	दिनांक-19/03/2020 के पूर्वाह्न 11:00 बजे से
3	ई-लॉटरी का स्थान	जिला-जामताड़ा समाहरणालय का सभाकक्ष
4	ई-लॉटरी समर्पित करने हेतु वेबसाईट का पता	<a href="https://jhexcise.neml.in">https://jhexcise.neml.in</a>
5	बन्दोबस्ती पदाधिकारी	जिला उपायुक्त

2. जामताड़ा जिला में ई-लॉटरी से बंदोबस्त होने वाली "देशी शराब की दुकान", "विदेशी शराब की दुकान" तथा "कम्पोजिट शराब की दुकान" की विवरणी निम्नवत है:-

जिला का नाम	समूह का कोड	दुकान का प्रकार	दुकान का नाम	वार्षिक अनुज्ञाशुल्क	वार्षिक न्यूनतम राजस्व (MGR)			आवेदन शुल्क (एग्जेंसी चार्ज + GST सहित)
					देशी शराब	विदेशी शराब	कुल राजस्व (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जामताड़ा	04_JAM_CF_04	FL	कालाझरिया मोड़ (मटटांड पंचायत)	25000.00		13273200.00	13273200.00	271954.00
जामताड़ा	04_JAM_CF_04	CL	मोहनपुर (झिलुवा पंचायत)	15000.00	509106.00		509106.00	14313.00
			योग:-	40000.00	509106.00	13273200.00	13782306.00	286267.00
जामताड़ा	04_JAM_F_06	FL	न0प0 मिहिजाम-1 (मिहिजाम-रूपनारायणपुर रोड़, निर्मल चौक से पालबगान तक) मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्र	75000.00		7553648.00	7553648.00	169363.00
जामताड़ा	04_JAM_F_07	FL	न0प0 मिहिजाम-2 (मिहिजाम-रूपनारायणपुर रोड़, मिहिजाम बाजार से कानगोई रेलवे फाटक तक) मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्र	75000.00		7553648.00	7553648.00	169363.00

le



जामताड़ा	04_JAM_CFM_10	FL	कुण्डहित (कुण्डहित प्रखण्ड मुख्यालय) कुण्डहित, बरमसिया मोड़ से कुण्डहित बाजार तक	25000.00		10377300.00	10377300.00	214036.00
जामताड़ा	04_JAM_CFM_10	CL	कुण्डहित (कुण्डहित प्रखण्ड मुख्यालय) कुण्डहित, बरमसिया, मोड़ से कुण्डहित बाजार तक	15000.00	989330.00		989330.00	23917.00
जामताड़ा	04_JAM_CFM_10	COM	खजूरी खजूरी पंचायत क्षेत्र	25000.00	330907.00	3814800.00	4145707.00	89405.00
			योग:-	65000.00	1320237.00	14192100.00	15512337.00	327358.00
जामताड़ा	04_JAM_FMM_15	FL	बिन्दापाथर (बिन्दापाथर पंचायत) गेड़िया पंचायत क्षेत्र	25000.00		3545400.00	3545400.00	77398.00
जामताड़ा	04_JAM_FMM_15	COM	गेड़िया	25000.00	330907.00	3256704.00	3587611.00	78243.00
जामताड़ा	04_JAM_FMM_15	COM	बस्ती पालोजोरी मोड़ पालाजोरी/ चापुड़िया पंचायत क्षेत्र	25000.00	330907.00	3561624.00	3892531.00	84341.00
			योग:-	75000.00	661814.00	10363728.00	11025542.00	239982.00
जामताड़ा	04_JAM_M_18	COM	गोरयनाला शहरडाल पंचायत क्षेत्र	25000.00	330907.00	5757576.00	6088483.00	128260.00
जामताड़ा	04_JAM_F_19	FL	न०५० हॉसीपहाड़ी (मिहिजाम-रूपनारायणपुर रोड़, कानगोई रेलवे फाटक से हॉसीपहाड़ी तक) मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्र	75000.00		7553648.00	7553648.00	169363.00

3. ई-लॉटरी हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया, निर्धारित शर्तें एवं प्रतिबंधों का विवरण निम्नवत है-

- दुकानों की बंदोबस्ती की कार्यवाई "झारखंड उत्पाद (मंदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018" (समय-समय पर यथा संशोधित) तथा राजस्व पर्षद द्वारा अनुमोदित बिक्री अधिसूचना की शर्तों के तहत सम्पन्न करायी जायेगी।
- खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती हेतु दुकानों के समूह का गठन किया गया है। दुकानों की बंदोबस्ती हेतु गठित समूह के अंतर्गत न्यूनतम एक दुकान तथा अधिकतम तीन दुकानें हो सकती हैं। दुकानों की बंदोबस्ती समूहवार की जायेगी।
- खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती अनुज्ञापित निर्गत की तिथि से दिनांक 31.03.2022 तक के लिए की जायेगी, परंतु अनुज्ञापितियाँ एक उत्पाद वर्ष या उसके भाग के लिए प्रदान की जायेंगी, जिनका आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नवीकरण, दुकानों की संतुष्टिपूर्वक नियमानुसार चलाये जाने तथा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों एवं चालू वर्ष तथा पूर्व उत्पाद वर्ष के लिए वांछित उत्पाद राजस्व की प्राप्ति के उपरांत आगामी उत्पाद वर्ष के लिए पुनर्निर्धारित राजस्व/शर्तों के अनुसार किया जा सकेगा।
- बंदोबस्ती हेतु अर्हता- कोई भी आवेदक खुदरा उत्पाद दुकान के किसी समूह पर अधिकतम तीन आवेदन समर्पित कर सकता है। आवेदक जिला/राज्य की सभी दुकानों के समूह पर तीन आवेदन समर्पित कर सकता है, बशर्त कि वह समूह अंतर्गत दुकानों के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क, धरोहर धनराशि, एजेन्सी चार्ज एवं नियमानुसार GST की राशि जमा कर दें। लॉटरी में एक आवेदक किसी जिले में ई-लॉटरी के तहत अधिकतम दो समूह की बंदोबस्ती प्राप्त कर सकेगा तथा संपूर्ण राज्य में अधिकतम छः समूह की बंदोबस्ती प्राप्त कर सकेगा। जैसे- यदि वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण की लॉटरी में यदि किसी आवेदक के साथ संपूर्ण राज्य में पाँच समूह की बंदोबस्ती हो गई है और यदि उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सभी दुकानों का नवीकरण करा लिया गया हो, तो इस चरण की बंदोबस्ती में उसके साथ मात्र एक ही समूह की बंदोबस्ती हो सकेगी। इसी प्रकार यदि किसी



- आवेदक के पक्ष में तीन चरणों की बंदोबस्ती में छः समूह की बंदोबस्ती हो चुकी है, तो उसके साथ किसी भी प्रकार की बंदोबस्ती नहीं की जायेगी। यदि किसी आवेदक के साथ पूर्व में पाँच समूह की बंदोबस्ती की गई है तथा उन्होंने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एक समूह का नवीकरण नहीं कराया गया है, तो उनके साथ अब अधिकतम दो समूह की बंदोबस्ती की जायेगी, अर्थात् किसी भी परिस्थिति में एवं सभी चरणों की बंदोबस्ती के पश्चात् किसी भी आवेदक के पक्ष में एक जिला में दो समूह तथा सभी जिला में अधिकतम छः समूह की बंदोबस्ती हो सकेगी।
- v. जिन व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति विभागीय नियमों के उल्लंघन तथा सरकारी बकाया रहने के कारण विखंडित हुई है, वैसे व्यक्ति वित्तीय वर्ष 2020-21 की बंदोबस्ती में भाग नहीं ले पायेंगे।
- vi. जिन व्यक्तियों के द्वारा अपनी अनुज्ञप्ति का नवीकरण सरकारी बकाया रहने के कारण नहीं कराया गया है, वैसे व्यक्ति भी वित्तीय वर्ष 2020-21 की बंदोबस्ती में भाग नहीं ले पायेंगे।
- vi. खुदरा उत्पाद दुकानों के लिए निर्धारित कुल वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व (Annual Minimum Guaranteed Revenue) का 15% न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद कर (MGD) एवं 85% न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद परिवहन कर(ETD) है।
- vii. किसी भी दुकान हेतु निर्धारित कुल न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व (Annual Minimum Guaranteed Revenue) का 2% धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit), 5% जमानत की राशि (Security Deposit) तथा 75% अग्रिम उत्पाद परिवहन कर निर्धारित है।
- viii. किसी भी प्रकार के दुकान की लॉटरी में भाग लेने के लिए आवेदक को उस दुकान के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क, धरोहर धनराशि, एजेन्सी चार्ज एवं नियमानुसार देय GST की राशि समेकित रूप से Online जमा करनी होगी। आवेदन शुल्क, GST एवं एजेन्सी चार्ज की राशि Non-refundable है। असफल आवेदकों की धरोहर धनराशि वापस कर दी जायेगी तथा सफल आवेदकों की धरोहर धनराशि उनके द्वारा देय जमानत/अग्रिम उत्पाद परिवहन कर (Advance Excise Transport Duty) की राशि में समायोजित कर ली जायेगी।
- ix. बंदोबस्ती में सफल आवेदक को दुकान अथवा दुकानों के समूह के लिए निर्धारित कुल वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का 5% जमानत की राशि तथा 7.5% अग्रिम उत्पाद परिवहन कर के रूप में जमा करना होगा। साथ ही उन्हें उस दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क को एकमुश्त जमा करना होगा। ससमय वांछित राशि जमा करने के उपरांत ही अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्यवाही की जायेगी। यदि बंदोबस्ती के उपरांत लॉटरी में सफल आवेदकों द्वारा बंदोबस्ती के लिए निर्धारित जमानत की राशि एवं अग्रिम उत्पाद परिवहन कर ससमय नहीं जमा किया जाता है, तो आवेदक द्वारा जमा की गई धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा उन आवेदकों का नाम उत्पाद विभाग द्वारा काली सूची में दर्ज किया जायेगा। ऐसे आवेदक भविष्य में किसी भी प्रकार की उत्पाद अनुज्ञप्ति धारण नहीं कर सकेंगे।
- x. आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ करने के पूर्व आवेदक के पास निम्नलिखित कागजात होने चाहिए -
- वैयक्तिक पहचान हेतु -पैन कार्ड (अनिवार्य)/मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड (अनिवार्य) की सॉफ्ट कॉपी;
  - निवास प्रमाण हेतु - पासपोर्ट/अनुमंडल पदाधिकारी से अन्यून पदाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र/बिजली बिल/टेलीफोन बिल/बैंक का जीवित चालू खाता के स्टेटमेंटकी सॉफ्ट कॉपी (इनमें से कोई एक);
  - पत्राचार पता हेतु - पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र/झाइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/बैंक का जीवित चालू खाता के स्टेटमेंट के पहले पेज की सॉफ्ट कॉपी (इनमें से कोई एक);
  - बैंक पासबुक की सॉफ्ट कॉपी (प्रथम पृष्ठ जिसपर खाता संबंधित विवरणी अंकित रहती है), अथवा, "बैंक स्टेटमेंट की प्रति", जो अधिसूचना प्रकारान की तिथि से तीन माह पूर्व की न हो अथवा, "कैन्सल्ड चेक"।
  - आयकर रिटर्न की छायाप्रति {वित्तीय वर्ष 2018-19, Assessment Year 2019-20 (ITR - V)}।
  - आवेदक का हाल में खींचा गया फोटो की सॉफ्ट कॉपी;
  - "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018" में यथा वर्णित शपथ के अनुरूप नोटरी पब्लिक द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र की सॉफ्ट कॉपी।
- xi. आवेदक ई-लॉटरी में भाग लेने हेतु सर्वप्रथम अपने आप को लॉटरी पोर्टल, <http://jhexcise.neml.in> पर निबंधित करेगा।
- xii. आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया वेब आधारित है एवं इंटरनेट के माध्यम से की जानी है, इसीलिए आवेदन करते समय आवेदक इस बात का ध्यान रखेंगे कि इंटरनेट स्पीड कम से कम 2 mbpsकी हो, ताकि आवेदन सुचारु रूप से किया जा सके।
- xiii. जो आवेदक वर्तमान में अनुज्ञाधारी हैं एवं उनके द्वारा अपनी अनुज्ञप्ति का नवीकरण वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कराया गया है, वैसे व्यक्ति अपने पुराने पंजीकरण (Regitration No.) के साथ ई-लॉटरी में Log-in कर भाग लेगा।
- xiv. ई-लॉटरी पोर्टल पर निबंधन करने हेतु आवेदक के पास पैन नम्बर, चालू मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल पता होना चाहिए, ताकि उसपर OTPभेजा जा सके।



- xv. ई-लॉटरी पोर्टल पर निबंधन के उपरांत दुबारा लॉगईन करने हेतु User ID, पैन नम्बर होगा तथा निबंधित मोबाइल संख्या पर प्रेषित OTP पासवर्ड के रूप में उपयोग किया जायेगा। आवेदक जितनी बार लॉगईन करेगा, उतनी बार नया OTP उनके मोबाइल पर प्रेषित किया जायेगा।
- xvi. आवेदक को आवेदन करते समय अपना एक बैंक खाता संख्या अंकित करना होगा, जिसके माध्यम से ई-लॉटरी हेतु सभी प्रकार की राशि का आदान-प्रदान आवश्यक होगा। बैंक में पैसा जमा करते समय Narration/Description डालते समय PAN No. का उल्लेख अवश्य करें, ताकि refund में किसी प्रकार की परेशानी न हो। असफल आवेदकों को Refund की जाने वाली राशि आवेदक द्वारा बताये गये खाते में ही वापस की जायेगी। आवेदन शुल्क, एजेन्सी चार्ज एवं GST की राशि Non-refundable है। प्रत्येक दुकान हेतु एजेन्सी चार्ज रू0 500/- होगा। आवेदन शुल्क व एजेन्सी चार्ज पर GST देय होगा।
- xvii. आवेदन के साथ अपलोड किये जाने वाले सभी आवश्यक कागजात उसी प्रपत्र एवं साईज लिमिट में होने चाहिए, जैसा कि ऑनलाइन आवेदन के पोर्टल में वर्णित किया गया है।
- xviii. सभी आवेदक आवेदन करते हुए अपने आवेदन पत्र को कम-से-कम दो बार जाँच कर लेंगे, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाये। गलत कागजात अपलोड करने की पूरी जिम्मेवारी आवेदक की होगी। अंत में पूर्ण आवेदन को वेबसाइट से डाउनलोड करके निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कर स्कैन करेंगे एवं स्कैन कॉपी को अपलोड करेंगे।
- xix. प्रत्येक आवेदन के लिए जमा की जाने वाली राशि ई-लॉटरी से संबंधित वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। आवेदक यह राशि विभाग के HDFC Bank के खाता संख्या 50100342434222- IFSC Code HDFC0002687 में जमा करेगा। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के खाता से संबंधित विवरणी ई-लॉटरी संबंधित वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। इस खाता में राशि केवल NEFT/RTGS/HDFC Online Transfer के द्वारा Transfer की जायेगी। इस खाता में कोई भी आवेदक नगद राशि जमा नहीं करेंगे। आवेदक द्वारा इस खाता में राशि भुगतान करने के उपरांत उन्हें एक UTR Number अथवा Transaction Reference Number मिलेगा, जिन्हें वे ध्यान से नोट कर लेंगे। इस नम्बर का उपयोग आवेदन समर्पित करते समय आवश्यक होगा एवं इसी UTR Number/ Reference Number के आधार पर आवेदक द्वारा जमा की गई राशि की संपुष्टि की जायेगी। बिना UTR Number/Reference Number भरे समर्पित किये गये आवेदन पर विचारणीय नहीं होंगे।
- xx. जिलावार खुदरा उत्पाद दुकानों की विवरणी सभी जिला उत्पाद कार्यालय, विभागीय वेबसाइट [jharkhandutpad.nic.in/excise](http://jharkhandutpad.nic.in/excise) एवं <https://jhexcise.neml.in> पर प्राप्त की जा सकती है।
- xxi. खुदरा उत्पाद दुकानों के अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती हेतु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं बंदोबस्ती की तिथि में परिवर्तन करने का एकाधिकार विभाग के पास रहेगा।

3/0  
उपायुक्त,  
जामताड़ा।

ज्ञाप सं- 128 / 30 जामताड़ा, दिनांक- 08/03/2020

- प्रतिलिपि- 1. सचिव उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग झारखंड, राँची का सादर सूचनार्थ।  
2. आयुक्त उत्पाद-सह-प्रबंध निदेशक, झा0रा0बि0कॉ0लि0 राँची को सूचनार्थ।  
3. पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा/अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ।  
4. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जामताड़ा जिला को सूचनार्थ।  
5. सभी उपायुक्त उत्पाद/सभी सहायक आयुक्त उत्पाद/सभी अधीक्षक उत्पाद झारखंड को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रचार-प्रसार प्रेषित।  
6. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (NIC) जामताड़ा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3/0  
उपायुक्त,  
जामताड़ा।  
08/03/2020